संख्याः 1581/बावन-3-2010-14(72)/95

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खां,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

482
02/7/10

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 29 जून, 2010

विषयः अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं इंजीनियरिंग कालेज, एम0बी0ए0 कालेज, मेडिकल कालेज एवं विश्व विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1683/बावन-3-2007-14(72)/95 टी0सी0, दिनांक 25 सितम्बर, 2007 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या-747/अ.स.क.नि.-238/नियो0/शु0प्र0/08-09, दिनांक 02 जून, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2007 की शर्तों/दिशा-निर्देशों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने व संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

AO / श्री शर्मा
2/7/10

(1)अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0 संख्या-1683/बावन-3-2007-14(72)/95 टी0सी0, दिनांक 25 सितम्बर, 2007 द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेश के विषय एवं गाइड लाईन में यह अंकित किया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं (इंजीनियरिंग कालेज, एम.बी.ए. कालेज, मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालयों में) अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उक्त से ऐसा आभास होता है कि दशमोत्तर कक्षाओं में कक्षा-11 एवं 12 के लिए यह व्यवस्था लागू नही है, जबकि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न गाईड लाइन के विन्दु सं0-4 धार्यता में यह अंकित है कि यह योजना मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों/विद्यालयों/विधि मान्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं पर लागू होगी। गाइड लाइन की उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि कक्षा-11 एवं 12 के छात्र भी प्रश्नगत व्यवस्था से आच्छादित हैं। अतः कृपया उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत कक्षा-11 एवं 12 के पात्र अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को भी प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाय।

(2)पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु01.00 लाख तक है, को तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु01.00लाख तक है, को राजकीय दरों पर प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की

व्यवस्था की गयी है। अतः उसके अनुरुप ही अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेश शुल्क के प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू की जाय।

3– शासनादेश सं0 संख्या–1683/बावन–3–2007–14(72)/95 टी0सी0, दिनांक 25 सितम्बर, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/दिशा निर्देश यथावत लागू रहेगें।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0ई–11–1378/दस–10, दिनॉक 29 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक खॉ)
उप सचिव।

सं0 1581(1)/52–3–10–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5– वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।
6– वित्त ई–11/नियोजन अनुभाग–3/गार्ड फाइल।
7– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक खॉ)
उप सचिव।